आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515001010624

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़।

संख्याः 1/649/2013–1/131/2013 लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में अवशेष सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाईल्स की व्यवस्था को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2013–14 में उक्त योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–14 में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2162/33–3–2013–100(20)/2012 दिनांक 07 अगस्त, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 7385300/– (₹ तिहत्तर लाख पंचासी हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– वर्ष 2012–13 के लिए चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में अवशेष सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2013–14 में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु उक्त प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–640/दस–2013–231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक"0515–अन्य ग्राम विकास 'कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–02–प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–101–पंचायती राज–06–सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था –24–वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

6– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

10– जिन मामलों उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहें तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हों, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 15–2–2014 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–14 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/649 /1/2013 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– जिला पंचायत राज अधिकारी, हापुड़।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हापुड़।
7– उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), मेरठ मण्डल मेरठ।
8– उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

CC Road 14-83 Allotment 13-14

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-24/09/2013

प्रेषण संख्या:- 1-649-2013-1-131-2013

आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-131-2013

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

06 - सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग टाइल्स

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7385300 7385300	7385300 7385300
	योग	वर्तमान प्रगामी	7385300 7385300	7385300 7385300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिहत्तर लाख पंचासी हजार तीन सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिहत्तर लाख पंचासी हजार तीन सौ

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
शहजाद अहमद अंसारी